सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 5, गुरूवार, *शाके* 1944-अक्टूबर 27, 2022 *Kartika 5, Thursday , Saka 1944- October 27, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 19, 2022

संख्या प0 9(104)राज -1/2022 :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जैसलमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतत् द्वारा निर्देश देती है कि जिला जैसलमेर की तहसील जैसलमेर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतत् पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार होगा:-

क्र सं	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			मूल ग्राम से दूरी	मूल राजस्व ग्राम का शेष क्षेत्रफल
			ग्राम का नाम	जन संख्या 2011 के अनुसार	भौगोलिक क्षेत्रफल (है0 में)	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011 के अनुसार	भौगोलिक क्षेत्रफल (है0 में)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जैसलमेर / जैसलमेर	पिथला / जैसलमेर	गोरेरा	514	3451.1374	डलासर	202	274.1520	4	3176.9854

नवीन राजस्व ग्राम के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्राम के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्राम/नवीन राजस्व ग्राम की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, जैसलमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

विश्व मोहन शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।